

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

7091 No. 709]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 2007/ज्येष्ठ 22, 1929

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 2007/JYAISTHA 22, 1929

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2007

का.आ. 950(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 26) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जून, 2007 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जबसे उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

> [फा. सं. 42/2/2005-आर एंड आर (खण्ड-IV)] अनिल कुमार, अपर सचिव

## MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2007

S.O. 950(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Electricity (Amendment) Act, 2007 (26 of 2007), the Central Government hereby appoints the 15th June, 2007, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

> [F. No. 42/2/2005-R&R (Vol-IV)] ANIL KUMAR, Addl. Secy.